भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में संदाय का भिन्न-भिन्न तरीका अनुज्ञात करते हुए संशोधन

रिपोर्ट सं. 231

अगस्त, 2009

भारत का विधि आयोग

(रिपोर्ट सं. 231)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में संदाय का भिन्न-भिन्न तरीका अनुज्ञात करते हुए संशोधन

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग द्वारा तारीख 5 अगस्त, 2009 को केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत ।

18वें विधि आयोग का गठन भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के आदेश संख्या ए.45012/1/2006-प्रशा. III (एल ए) तारीख 16 अक्तूबर, 2006 द्वारा 1 सितम्बर, 2006 से तीन वर्ष के लिए किया गया ।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और सात अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति डा. एआर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

पूर्णकालिक सदस्य

प्रोफेसर (डा.) ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

डा. (श्रीमती) देविन्दर कुमारी रहेजा

डा. के. एन. चन्द्रशेखरन पिल्लै

प्रोफेसर (श्रीमती) लक्ष्मी जामभोलकर

श्रीमती कीर्ति सिंह

न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण

श्री ओ. पी. शर्मा

डा. (श्रीमती) श्यामला पप्पू

विधि आयोग आई. एल. आई. बिल्डिंग, द्वितीय तल, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001 पर स्थित है ।

विधि आयोग के कर्मचारिवृंद

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
सुश्री पवन शर्मा	:	अपर विधि अधिकारी
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	:	अपर विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	उप विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	सहायक विधि सलाहकार
डा. आर. एस. श्रीनेट	:	अधीक्षक (विधि)

प्रशासनिक कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
श्री डी. चौधरी	:	अवर सचिव
श्री एस. के. बसु	:	अनुभाग अधिकारी
श्रीमती रजनी शर्मा	:	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ **http://www.lawcommissionofindia.nic.in** पर इन्टरनेट पर उपलब्ध है ।

© भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्न के सिवाय) इस शर्त के अधीन किसी प्ररूप या माध्यम में निःशुल्क पुनरुत्पादित किया जा सकता है बशर्ते कि यह ठीक-ठीक पुनरुत्पादित किया गया है और भ्रामक संदर्भ में प्रयोग नहीं किया गया है । सामग्री की अभिस्वीकृति भारत सरकार कापीराइट और विनिर्दिष्ट दस्तावेज के शीर्षक के रूप में की जाए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित कोई पूछताछ सदस्य-सचिव, भारत का विधि आयोग, द्वितीय तल, आई. एल. आई. भवन, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001, भारत को डाक द्वारा या ई-मेल : **lci-dla@nic.in** द्वारा संबोधित किया जाए ।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन
(भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का
उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

आई.एल.आई. भवन
(द्वितीय तल)
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष- 91-11-22384475
फैक्स - 91-11-23383564

अर्ध. शा.सं. 6(3)/154/2007-एल सी(एल एस) 5 अगस्त, 2009

प्रिय डा. वीरप्पा मोइली जी,

विषयः- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में संदाय का भिन्न-भिन्न तरीका अनुज्ञात करते हुए संशोधन

मैं उपरोक्त विषय पर भारत के विधि आयोग की 231वीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूं ।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 ब्रिटिश युग के कानून हैं जो चेपदार स्टाम्प या स्टाम्प कागज के रूप में ही लिखतों पर स्टाम्प शुल्क और न्यायालयों में फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों पर न्यायालय फीस के संदाय के लिए उपबंध करते हैं जिसे काफी मात्रा में केन्द्रीय सरकार द्वारा मुद्रित किया जाता है जिस पर भारी लागत आती है । हाल ही में कुछ पहले, लोकनिन्दात्मक कार्य हुए और कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे लोकनिन्दात्मक कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए डाकघरों से उन्हें बेचने का विनिश्चय किया है ।

3. हमारा देश उक्त अधिनियमों के अधीन असहनीय बोझ ढो रहा है जो ब्रिटिश बपौती है । स्टाम्प कागज धांधली का मुख्य कारण यह है कि

निवासः सं. 1, जनपथ, नई दिल्ली-110001. टेली. 91-11-23019465, 23793488, 23792745. ई-मेल : ch.lc@sb.nic.in.

उनका मुद्रण भारी मात्रा में होता है । दूसरा कारण यह है कि सरकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि ये अधिनियम पुराने विधानों के अंग हैं । यह हास्यास्पद है कि 50 नया पैसा जैसी न्यायालय फीस की रकम के संदाय की अपेक्षा अब भी कुछ प्रकार के दस्तावेजों पर होती है । तब उन न्यायालय फीस स्टाम्पों को रद्द करने के जटिल उपबंध हैं । उच्च न्यायालयों में भी जहां पेपर बुक काफी अधिक होता है, वहां भी याची से प्रत्येक पृष्ठ पर 65 नया पैसा न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाने की अपेक्षा होती है । इस निरर्थक प्रक्रिया में काफी मानव शक्ति नष्ट होती है । वादकारी और अधिवक्ताओं के मुंशी पेपर बुक के पृष्ठों पर न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाने और तब उसके रद्दकरण के लिए न्यायालय फीस स्टाम्पों पर मामले के शीर्षक लिखने में हमेशा व्यस्त रहते हैं (ताकि उन न्यायालय फीस स्टाम्पों का पुनः उपयोग न किया जा सके)। तब, न्यायालयों के कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए पेपर-बुक के प्रत्येक पृष्ठ की जांच करते हैं कि सही रकम का स्टाम्प चिपकाया गया है और अगली कार्यवाही के लिए पेपर-बुक को आगे बढ़ाने के पूर्व ठीक तरह से रद्द किया गया है । ये हास्यास्पद उपबंध भारत के संविधान के उनसठ वर्षों के प्रवृत्त होने के पश्चात् भी कानून की पुस्तकों में बने हुए हैं । इन सभी समस्याओं के अलावा अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रायः पैदा की गई स्टाम्पों और स्टाम्प कागजों की कृत्रिम कमी काले बाजार में उनके विक्रय की समस्या पैदा करती है ।

4. हमने स्वप्रेरणा से विषय पर विचार करने का बीड़ा उठाया । हमारे देश के न्यायालयों मे फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों पर उपलब्ध न्यायालय फीसों और लिखतों पर शुल्क प्रभारित करने के अति आधुनिक और सुविधाजन तरीकों को ध्यान में रखते हए उनके संदाय के तरीकों को पूरी तरह से नवीकृत किए जाने की अपेक्षा है । न्यायालय फीस रकम

पूर्णांक में होना चाहिए और डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, पे आर्डर, मनीआर्डर, पोस्टल आर्डर, चालान या नकद के माध्यम से भी संदेय होना चाहिए । इसी प्रकार गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क भी संदेय होने चाहिएं । न्यायालय फीस और गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क के संदाय के इन वैकल्पिक तरीकों से न केवल सरकार की उन्हें मुद्रित करने और स्टाम्प विक्रेताओं के कमीशन की भारी लागत की बचत होगी बल्कि आम जनता को कपट और अपरिहार्य परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी ।

5. तदनुसार हमने सिफारिश किया ।

सादर,

भवदीय,
(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन)

डा. एम. वीरप्पा मोइली,
केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

भारत का विधि आयोग

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में संदाय का भिन्न-भिन्न तरीका अनुज्ञात करते हुए संशोधन

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	10
2.	समानान्तर उपबंध	16
3.	सिफारिश	22

1. प्रस्तावना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

1.1 अपने नागरिकों के संव्यवहार से राज्य के लिए राजस्व उगाहने का विचार हालैण्ड में आरंभ हुआ । प्रथम स्टाम्प विधि वर्ष 1624 में हालैण्ड में पारित की गई थी । इंग्लैण्ड में, इसे सर्वप्रथम चार्ल्स 2 के अधीन अंगीकार किया गया लेकिन विलियम और मैरी के शासन के अधीन यह एक निश्चित आकार में आया और इसके पश्चात् अंग्रेजों के बीच विभिन्न लिखतों पर स्टाम्पों की अपेक्षा वाले विभिन्न कानून पारित किए गए[1] ।

1.2 भारत में, प्रथम स्टाम्प विधि 1797 का विनियम VI था जिसका विस्तार बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस तक सीमित था । बाद में बम्बई और मद्रास के सहोदर प्रान्तों में विभिन्न स्टाम्प विनियम लागू किए गए[2] ।

1.3 वर्ष 1860 में, स्टाम्प शुल्कों से संबंधित प्रथम अधिनियम भारत में अधिनियमित किया गया । इसने सभी विद्यमान विनियमों को निरसित कर दिया । स्टाम्प अधिनियम, 1860 के स्थान पर स्टाम्प अधिनियम, 1862 लाया गया । इसके पश्चात् 1869 का स्टाम्प अधिनियम और उसके स्थान पर स्टाम्प अधिनियम, 1879 अधिनियमित किया गया । अंततः स्टाम्प अधिनियम, 1879 के स्थान पर स्टाम्प अधिनियम, 1989 लाया गया जो विषय पर विद्यमान विधि है ।[3]

1.4 जगदीश नारायण बनाम मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी[4] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :

" भारतीय स्टाम्प अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य राजस्व

---

[1] भारत के विधि आयोग की 67वीं रिपोर्ट
[2] - वही -
[3] - वही -
[4] ए. आई. आर. 1994 इला. 371.

बढ़ाना है और इसके उपबंधों का अर्थान्वयन राजस्व के संरक्षण को ही ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए । यद्यपि अधिनियम के उपबंध धनीय भार अधिरोपित करते हैं और यह अधिनियम राजकोषीय अधिनियमिति है फिर भी इसमें अंतर्वलित जटिलताओं पर विचार करते हुए इसके उपबंधों का ऐसा अर्थ निकाला जाना चाहिए जो जनता को असम्यक् कठिनाई से निवारित करता हो ।"

1.5 भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 10 में शुल्क के संदाय के तरीके के रूप में स्टांप को परिकल्पित किया गया है । कोई लिखत "सम्यक् रूप से स्टाम्पकृत" तभी है यदि उस पर उक्त अधिनियम की धारा 2(11) द्वारा उचित रकम का आसंजित या मुहर लगा स्टाम्प है ।

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870

1.6 हम यहां दो प्रकार के स्टाम्प अर्थत् न्यायिक और गैर-न्यायिक पर विचार कर रहे हैं । स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत गैर-न्यायिक स्टाम्प आते हैं; जिनका उपयोग ऐसे व्यक्तियों के बीच संव्यवहारों में आता है जहां लिखित लिखतों का प्रयोग किया जाता है । न्यायिक स्टाम्पों पर "न्यायालय फीस" शब्द लिखा होता है और न्यायिक स्टाम्प कागजों पर "न्यायिक" शब्द लिखा होता है और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के उपबंधों के अधीन न्यायालय और कतिपय सार्वजनिक कार्यालयों में प्रयोग के लिए होता है ।

1.7 भारत में ब्रिटिश शासन के प्रारंभ के पहले, न्याय-प्रशासन को अपनी शिकायतों के प्रतितोष के लिए न्यायालय में आवेदन करने वाले पक्षकार पर कोई प्रभार उद्ग्रहण किए बिना लोगों के संरक्षक के रूप में राज्य का मूलभूत कृत्य समझा जाता था । मुगल शासन के दौरान और उस अवधि के पूर्व, न्याय प्रशासन बिल्कुल निःशुल्क था । ब्रिटिश शासन के पश्चात् ही न्यायालय फीस अधिरोपित करने वाले विनियम अस्तित्व में लाए

गए थे ।[5]

1.8 यह प्रतीत होता है कि सिविल न्यायालयों में न्यायालय फीस सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में 1782 के मद्रास विनियम 3, 1765 के बंगाल विनियम 38 और 1802 के बम्बई विनियम 8 द्वारा उद्ग्रहीत किए गए । विरोधाभास है कि बंगाल विनियम की उद्देशिका में इस आधार पर न्यायालय के अधिरोपण को न्यायोचित ठहराया गया था कि यह निरर्थक मुकदमेबाजी संस्थित किए जाने को निवारित करेगा ।[6]

1.9 सभी प्रांतीय विनियमों को संपूर्ण भारत के लिए अधिनियमित 1860 के एकल अधिनियम 36 में आमेलित किया गया था । बाद में और अधिनियम बनाए गए और अंततः वर्तमान न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 अस्तित्व में आया ।[7]

1.10 न्यायालय फीस अधिनियम ऐसी फीस विहित करता है जो न्यायालयों और कतिपय सार्वजनिक कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले दस्तावेज़ों की बाबत संदत्त की जाती है । स्टाम्प अधिनियम की तरह, न्यायालय फीस अधिनियम भी ऐसे स्टाम्पों के माध्यम से न्यायालय फीसों के संदाय का उपबंध करता है जो न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 25 और 26 द्वारा अंकित या चिपकाए जाएंगे । न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 28 द्वारा कोई दस्तावेज तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक उस पर उचित रूप से स्टाम्प न लगा हो ।

चेपदार स्टाम्प

1.11 चेपदार स्टाम्प कागज के छोटे टुकड़ों पर मुद्रित होते हैं और न्यायालयों में फाइल किए जाने वाले लिखतों या दस्तावेजों पर लगाए जाते हैं । स्टाम्प अधिनियम की धारा 11 के अधीन सूचीबद्ध कतिपय लिखतों पर

---

[5] भारत के विधि आयोग की 189वीं रिपोर्ट
[6] भारत के विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट
[7] पूर्वोक्त टिप्पण 5.

चेपदार स्टाम्पों से स्टाम्प लगाए जा सकते हैं । विशिष्ट लिखतो पर प्रयोग किए जाने के लिए विशेष चेपदार स्टाम्प हैं ।

स्टाम्प पेपर

1.12 हमारे देश में, लोग राज्य को स्टाम्प शुल्क संदाय करने के लिए या न्यायालय फीस संदाय करने के लिए स्टाम्प पेपर खरीदते हैं । यदि संदेय शुल्क या न्यायालय फीस की रकम काफी है तो उसे अपेक्षित मूल्य का स्टाम्प पेपर खरीदना होता है ।

चेपदार स्टाम्प और स्टाम्पकृत पेपर का मुद्रण

1.13 विभिन्न मूल्यवर्ग के चेपदार स्टाम्प और स्टाम्पकृत पेपर का मुद्रण भारत सुरक्षा प्रेस, नासिक रोड और सुरक्षा प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद द्वारा किया जाता है । भारत सुरक्षा प्रेस की स्टाम्प यूनिट अन्य बातों के साथ-साथ गैर-न्यायिक स्टाम्प, न्यायालय फीस स्टाम्प, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर और अंकित न्यायालय फीस स्टाम्प का मुद्रण करती है । भारत सुरक्षा प्रेस की केन्द्रीय स्टाम्प डिपो केन्द्रीय और राज्य सरकारों को तैयार उत्पादों की आपूर्ति का कार्य करता है । भारतीय सुरक्षा प्रेस देश की मांगों को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद की आपूर्ति के लिए 1982 में गठित सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस अन्य बातों के साथ-साथ छोटे मूल्य वर्ग के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों का मुद्रण करता है । लिखत या दस्तावेज स्वयं इन स्टाम्प पेपरों पर लिखित या टाइप होते हैं; कभी-कभी स्टाम्प पेपर संबंधित लिखत या दस्तावेज से संलग्न होते हैं ।

समस्या और स्थिति

1.14 अब, विभिन्न घोटालों को ध्यान में रखते हुए, कुछ राज्य सरकारों ने इन घोटालों की घटना रोकने के लिए डाकघरों के माध्यम से चेपदार स्टाम्पों और स्टाम्प पेपरों को बेचने का विनिश्चय किया है ।

1.15 हमारा देश उक्त अधिनियमों के अधीन असहनीय बोझ ढो रहा है

जो ब्रिटिश बपौती है । स्टाम्प कागज धांधली का मुख्य कारण यह है कि उनका मुद्रण भारी मात्रा में होता है । दूसरा कारण यह है कि सरकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि ये अधिनियम पुराने विधानों के अंग हैं । यह हास्यास्पद है कि 50 नया पैसा जैसी न्यायालय फीस की रकम के संदाय की अपेक्षा अब भी कुछ प्रकार के दस्तावेजों पर होती है । तब उन न्यायालय फीस स्टाम्पों को रद्द करने के जटिल उपबंध हैं । उच्च न्यायालयों में भी जहां पेपर बुक काफी अधिक होता है, वहां भी याची से प्रत्येक पृष्ठ पर 65 नया पैसा न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाने की अपेक्षा होती है । इस निरर्थक प्रक्रिया में काफी मानव शक्ति नष्ट होती है । वादकारी और अधिवक्ताओं के मुंशी पेपर बुक के पृष्ठों पर न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाने और तब उसके रद्दकरण के लिए न्यायालय फीस स्टाम्पों पर मामले के शीर्षक लिखने में हमेशा व्यस्त रहते हैं (ताकि उन न्यायालय फीस स्टाम्पों का पुनः उपयोग न किया जा सके)। तब, न्यायालयों के कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए पेपर-बुक के प्रत्येक पृष्ठ की जांच करते हैं कि सही रकम का स्टाम्प चिपकाया गया है और अगली कार्यवाही के लिए पेपर-बुक को आगे बढ़ाने के पूर्व ठीक तरह से रद्द किया गया है । ये हास्यास्पद उपबंध भारत के संविधान के उनसठ वर्षों के प्रवृत्त होने के पश्चात् भी कानून की पुस्तकों में बने हुए हैं । इन सभी समस्याओं के अलावा अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रायः पैदा की गई स्टाम्पों और स्टाम्प कागजों की कृत्रिम कमी काले बाजार में उनके विक्रय की समस्या पैदा करती है ।

1.16 हमने स्वप्रेरणा से विषय पर विचार करने का बीड़ा उठाया । हमारे देश में न्यायालयों में फाइल किए जाने वाले दस्तावेज़ों पर उपलब्ध न्यायालय फीसों और लिखतों पर शुल्क प्रभारित करने के अति आधुनिक और सुविधाजनक तरीकों को ध्यान में रखते हुए उनके संदाय के तरीकों को पूरी तरह से मरम्मत किए जाने की अपेक्षा है । न्यायालय फीस रकम पूर्णांक में होना चाहिए और डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, पे आर्डर, मनीआर्डर पोस्टल आर्डर, चालान या नकद के माध्यम से ही संदेय होना चाहिए ।

इसी प्रकार गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क भी संदेय होने चाहिए । न्यायालय फीस और गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क के संदाय के इन वैकल्पिक तरीकों से न केवल सरकार की उन्हें मुद्रित करने और स्टाम्प विक्रेताओं के कमीशन की भारी लागत की बचत होगी बल्कि आम जनता को कपट और अपरिहार्य परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी ।

2. समानान्तर उपबंध

2. यहां नीचे हम उन प्राधिकरणों, अधिकरणों, अन्य न्यायिक-कल्प निकायों की सूची दे रहे हैं जहां अपेक्षित फीस संदाय के पूर्वोक्त एक या अधिक आनुकल्पिक तरीकों के माध्यम से संदेय है :–

[1] सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन **सार्वजनिक प्राधिकारी**

संदाय का तरीका : नकद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर {केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 द्वारा }

विभिन्न राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों, राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों, उच्च न्यायालयों ने संदाय के विभिन्न अनुकल्पी तरीकों के माध्यम से सूचना के लिए फीस के संदाय का उपबंध करने के लिए अपने निजी नियम बनाए हैं ।

[2] प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अधीन **केन्द्रीय शासनिक अधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर {केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987 के नियम 7 द्वारा}

[3] बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन **ऋण वसूली अधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर {ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 7 और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन बनाए गए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 13 द्वारा}

[4] बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन **ऋण वसूली अपील अधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर {ऋण वसूली अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 8 और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन बनाए गए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 13 द्वारा}

[5] उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन **उपभोक्ता मंच**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर {उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 9-क द्वारा}

[6] प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अधीन **प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड**

संदाय का तरीका : भारतीय पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट या चालान {प्रतिलिप्यधिकार नियम, 1958 के नियम 26 द्वारा}

[7] भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन **दूर संचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण** ।

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट { दूर संचार विवाद निपटान और अपीली अधिकरण (अपील फाइल करने के लिए प्रारूप, सत्यापन और फीस) नियम, 2003 के नियम 4 द्वारा}

[8] विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन **विदेशी मुद्रा विनिमय अपील अधिकरण**

संदाय का तरीका : नकद या डिमांड ड्राफ्ट [विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध (न्यायनिर्णायक कार्यवाहियां और अपील) नियम, 2000 के नियम 10 द्वारा]

[9] विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन **विशेष निदेशक (अपील)**

संदाय का तरीका : नकद या डिमांड ड्राफ्ट {विदेशी मुद्रा विनमय प्रबंध (न्यायनिर्णायक कार्यवाहियां और अपील) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा}

[10] रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन **रेल दावा अधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर {रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 6 द्वारा }

[11] एकाधिकार और निर्बंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन **एकाधिकार और निर्बंधित व्यापार व्यवहार आयोग**

संदाय का तरीका : चालान या डिमांड ड्राफ्ट { एकाधिकार और निर्बंधित व्यापार व्यवहार नियम, 1970 के नियम 10 द्वारा}

[12] विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन **विद्युत अपील प्राधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट { विद्युत अपील अधिकरण (प्रक्रिया, प्ररूप, फीस और कार्यवाहियों का अभिलेख) नियम, 2007 के नियम 55 द्वारा}

[13] सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन **साइबर विनियम अपील अधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट या पे-आर्डर {साइबर विनिमय अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2000 के नियम 6 द्वारा }

[14] धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन **अपील अधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट { धन शोधन निवारण (अपील

नियम, 2005 के नियम 3 द्वारा}

[15] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन **केन्द्रीय सरकार**

संदाय का तरीका : भारतीय स्टेट बैंक में निक्षेप {भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (केन्द्रीय सरकार को अपील) नियम, 1993 के नियम 5 द्वारा}

[16] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 1992 के अधीन **प्रतिभूति अपील अधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट {प्रतिभूति अपील अधिकरण प्रकिया) नियम, 2000 के नियम 9 द्वारा}

[17] विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश { केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2004 के नियम 2 द्वारा}

[18] कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन **कंपनी ला बोर्ड**

संदाय का तरीका : बैंक ड्राफ्ट { कंपनी ला बोर्ड (आवेदनों और याचिकाओं पर फीस) नियम, 1991 के नियम 4 द्वारा}

[19] कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन **कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट {कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1997 के नियम 7 द्वारा}

[20] स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन

समपहृत संपत्ति के लिए अपील अधिकरण

संदाय का तरीका : नकद {समपहृत संपत्ति के लिए अपील अधिकरण (फीस) नियम, 1989 के नियम 2 और 3 द्वारा}

[21] स्मगलर और विदेशी मुद्रा विनिमय छलसाधक(संपत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन **समपहृत संपत्ति के लिए अपील अधिकरण**

संदाय का तरीका : नकद { समपहृत संपत्ति के लिए अपील अधिकरण (फीस) नियम, 1987 के नियम 2 और 3 द्वारा}

[22] आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन **विकसित विनिर्णय प्राधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट { आयकर नियम, 1962 के नियम 44ङ. के निर्देश से प्ररूप सं. 34ग द्वारा}

[23] सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन **विकसित विनिर्णय प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क और सेवा कर)**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट { सीमा शुल्क (विकसित विनिर्णय) नियम, 2002 के नियम 3 के प्रतिनिर्देश से प्ररूप एएआर (कस्टम) द्वारा}

[24] आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन **आयकर निपटान आयोग**

संदाय का तरीका : किसी प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप{ आयकर नियम, 1962 के नियम 44ग के प्रतिनिर्देश से प्ररूप सं. 34ख द्वारा }

[25] सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन **निपटान आयोग**

संदाय का तरीका : किसी प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप { सीमा-शुल्क (मामलों का निपटान) नियम,

1999 के नियम 3 के प्रतिनिर्देश से प्ररूप एस. सी. (सी)-1 द्वारा}

[26] आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन **अपील अधिकरण**

संदाय का तरीका : किसी प्राधिकृतस बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप { आयकर नियम, 1962 के नियम 47 के प्रतिनिर्देश से प्ररूप सं. 36 द्वारा}

[27] सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन **सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण**

संदाय का तरीका : डिमांड ड्राफ्ट {सीमा शुल्क (अपील) नियम, 1982 के नियम 6 के प्रतिनिर्देश से प्ररूप सं. सी ए-3 द्वारा}

[28] आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन **आयुक्त (अपील)**

संदाय का तरीका : किसी प्राधिकृत बैंक या भरतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप {आयकर नियम, 1962 के नियम 45 के प्रतिनिर्देश से प्ररूप सं. 35 द्वारा}

3. सिफारिश

3.1 हमारा यह दृढ़ मत है कि न्यायिक और गैर-न्यायिक स्टाम्पों के मुद्रण हेतु सरकार को भारी लागत से बचाने के लिए और आम जनता को कपट और अवांछनीय परेशानी से निवारण के लिए भी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 को संदाय के अनुकल्पी तरीके अर्थात्, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, भुगतान आदेश, मनीआर्डर, पोस्टल आर्डर, चालान के माध्यम से न्यायालयों में फाइल किए जाने वाले दस्तावेजो पर न्यायालय फीस और लिखतों पर स्टाम्प शुल्क के संदाय का उपबंध करने के लिए उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता है । स्टाम्प शुल्क और न्यायालय फीस रकम पूर्णांक में भी होना चाहिए ।

3.2 हम तदनुसार सिफारिश करते हैं ।

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन)

अध्यक्ष

ह/-	ह/-
(प्रोफेसर (डा.) ताहिर महमूद	(डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल)
सदस्य	सदस्य-सचिव

फा. सं. 6(3) 170/2009-वि.आ.(वि.अ.)
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
भारत का विधि आयोग

भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110001

तारीख : 30.09.2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ''भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में संदाय के विभन्न प्रकारों की अनुज्ञा देने वाले संशोधन'' नामक विधि आयोग की रिपोर्ट सं. 231 के बारे में ।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता को यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि ऊपर वर्णित रिपोर्ट के पैरा 1.15 और 1.16 और साथ ही तारीख 05.08.2009 के अ.शा. पत्र के पैरा 3 और 4 मोटे रुप से श्री एच. सी. अरोड़ा, अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 18वें भारत के विधि आयोग के माननीय अध्यक्ष को संबोधित करके लिखे गए पत्र से लिए गए हैं ।

(ए. के. उपाध्याय)
उप विधि अधिकारी

श्री ए. के. श्रीवास्तव
अनुभाग अधिकारी,
कार्यान्वयन सेल,
विधि कार्य विभाग,
विधि और न्याय मंत्रालय,
'ए' विंग, चौथा तल,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली